भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3163
20.03.2023 को उत्तर के लिए

मानव-पशु संघर्ष

3163. श्री ए.राजा

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विभिन्न राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रों में मानव-पशु संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) जंगली हाथियों द्वारा आवासीय क्षेत्र, धान के खेतों में घुसने और खड़ी फसलों को नष्ट करने तथा चीता, तेंदुए द्वारा कुत्तों और पालतू पशुओं को उठाकर ले जाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या वन्य जीवों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) ऐसे वन्य जीवों को पकड़ने और उन्हें वापस घने जंगलों में भेजने के लिए राज्य वन विभाग को प्रदान की गई सहायता और मदद का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ङ): वन्यजीव प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय को समय-समय पर मानव-पशु संघर्ष की रिपोर्टें प्राप्त होती रहती हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की संख्या राज्य-वार भिन्न-भिन्न होती है।

मंत्रालय, मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने और प्रबंधित करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। वन्यजीव और मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं नामतः 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के तहत समर्थित गतिविधियों में भौतिक अवरोधों का निर्माण जैसे फसल क्षेत्र में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए कंटीले तारों की बाड़, सौर ऊर्जा वाली बिजली की बाड़, कैक्टस का उपयोग कर जैव-बाड़, चारदीवारी आदि शामिल है। इस

योजना के तहत मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों को भी मुआवजे के भुगतान हेतु धनराशि प्रदान की जाती है।

मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्ष से उत्पन्न स्थितियों के बेहतर प्रबंधन के लिए सभी राज्यों को परमर्शिकाएं भी जारी की है। ये परमर्शिकाएं ऐसे विभिन्न उपायों की सिफारिश करती हैं जिन्हें राज्यों द्वारा ऐसे संघर्षों को रोकने और प्रबंधित करने के लिए अपनाया जा सकता है। इनमें, पर्यावास सुधार संबंधी उपाय, वनों के अंदर जानवरों के लिए चारा और पानी उपलब्ध कराना, समन्वित अंतर्विभागीय कार्रवाई, संघर्ष वाले हॉटस्पॉट की पहचान, मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन, त्वरित प्रतिक्रिया दलों की स्थापना, अनुग्रह राहत राशि की मात्रा की समीक्षा करने हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन, और प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे का शीघ्र भुगतान शामिल है।

राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्तर पर समय-समय पर वन्य जीवों की गणना की जाती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में बाघों, हाथियों और एशियाई शेरों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है:

प्रजातियों के नाम	अनुमानित आबादी का वर्ष	संख्या
बाघ	2018	2967
हाथी	2017	29964
एशियाई शेर	2020	674

*****